

75

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया/बांका/दरभंगा/गया/कटिहार/मधुबनी/मुंगेर/पटना/पूर्णियाँ/सारण (छपरा)/शिवहर/
सीतामढ़ी/ सीवान/वैशाली(हाजीपुर)/शेखपुरा/ पश्चिमी चम्पारण(बेतिया)।

पटना, दिनांक :-

5-10-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मौंग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26- 2230011120201) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्राप्त ₹ 179.20 लाख मात्र के विरुद्ध उपयोग में नहीं लायी गयी राशि ₹ 15.70 लाख को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-S-11012/05/2001-BL(Vol. III) दिनांक-31.08.17 द्वारा Revalidate किया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। इस Revalidate किये गये राशि ₹ 15.70 लाख मात्र को विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-3175 दिनांक-07.06.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त, कुल 157 बंधुआ मजदूरों के लिए विषय शीर्ष 0201.37.01 अनुग्रह अनुदान से प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र की दर से संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

3. यह आवंटन कुल ₹ 15,70,000/- (₹ पन्द्रह लाख सत्तर हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. यह आवंटित केन्द्रांश की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय आवंटन आदेश संख्या-146 एवं 187 क्रमशः दिनांक-08.02.17 एवं 27.3.17 द्वारा विमुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु प्रेषित आवंटित राशि के विरुद्ध, जिन बंधुआ मजदूरों हेतु राशि की निकासी नहीं की गयी उन बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु आवंटित की गयी है।

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

6. आवंटित केन्द्रांश की राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्ही विमुक्त वैध बंधुआ मजदूरों को ही उपलब्ध कराया जाय जिन्हें पूर्व में राज्यांश की राशि प्रदान की जा चुकी है।

7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित वाद संख्या तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत परिवादियों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की राशि का भुगतान किया जाय ।

8. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

5/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/17 श्र0सं0-

75

पटना, दिनांक

5-10-17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-309/17 श्र0सं0

पटना, दिनांक

75 5-10-17

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित श्रम अधीक्षक/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01/ (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं-352(श्रमपक्ष) दिनांक-04.10.17 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01)द्वारा किया जायेगा ।

75
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक6/एफ1-309/17 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

75 5-10-17


प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

75
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3175 दिनांक-07.06.2017 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वासि-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 26-2230011120201) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध 10000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित केन्द्रांश की राशि का समेकित आवंटन की विवरणी:-

क्र. सं.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय आवंटन आदेश संख्या-146 एवं 187 क्रमशः दिनांक-08.02.17 एवं 27.3.17 द्वारा विमुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु प्रेषित आवंटित राशि के विरुद्ध जिन बंधुआ मजदूरों हेतु राशि की निकासी नहीं की गयी उन बंधुआ मजदूरों की संख्या	पूर्व में सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध 10000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से विषयशीर्ष 0201.37.01 अनुग्रह अनुदान से आवंटित केन्द्रांश की राशि
1	2	3	4
1	अररिया	13	130000
2	बांका	10	100000
3	दरभंगा	29	290000
4	गया	29	290000
5	कटिहार	20	200000
6	मधुबनी	5	50000
7	मुंगेर	3	30000
8	पटना	3	30000
9	पूर्णियाँ	2	20000
10	सारण (छपरा)	2	20000
11	शिवहर	1	10000
12	सीतामढ़ी	7	70000
13	सीवान	1	10000
14	वैशाली	24	240000
15	शेखपुरा	4	40000
16	प० चंपारण	4	40000
	कुल योग	157	1570000

कुल आवंटित राशि ₹ 15,70,000/- (₹ पन्द्रह लाख सत्तर हजार) मात्र ।


 (गोपाल मीणा)
 श्रमायुक्त, बिहार।